



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बेतूल  
लोक डाउन ई पास

ई पास

(अन्य राज्य से म. प्र. आने हेतु)

पास कू : लोक डाउन/ई पास//बेतूल/BESA364713

पास जारी करने की दिनांक 08/05/2020

पास धारक का नाम

पता

मोबाइल नं.

फोटो परिचय पत्र का विवरण (मार्ग जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा)

यात्रा का प्रारंभ प्रदेश एवं जिला

यात्रा समाप्ति का जिला

गंतव्य स्थल का पता

ई पास जारी करने का उद्देश्य

पास की प्रकृति

वाहन का प्रकार एवं वाहन क्रमांक (यदि लागू हो)

ई पास का वैधता दिनांक

satish

at post yenas tah multai dist betul

6261456883

Aadhar Card

TELANGANA,sanghareddy

बेतूल

yenas tah multai dist betul

Personal Emergency-Medical (2d)

Round Trip/राउंड ट्रिप

Car/Jeep / क्रमांक - (MP09FA1323)

11/05/2020 से 15/05/2020 तक

जिले में आने वाले व्यक्तियों का चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक होगा चिकित्सीय परीक्षण उपरान्त संदिग्ध कोराना पोजिटिव पाये जाने पर अनिवार्यतः 14 दिवस के लिए Institutional quarantine व असंदिग्ध पाये जाने पर Home uarantine कराया जाना आवश्यक होगा। इन सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप/सार्थक ऐप डाउन लोड कराया जावेगा। सभी संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, वापस आने पर सरकार की गाईड लाईन का पालन करना होगा यह अनुमति कन्टेनमेंट ऐरिया में जाने के लिये नहीं है



टिप्पणी

सहयात्रियों के नाम

नाम	आयु	लिंग	संबंध	आईडी प्रमाण प्रकार	वन वे/राउंड ट्रिप
satish pawar	34	Male	Driver	Aadhar Card	Both
ramkishan pawar	35	Male	Husband	Aadhar Card	Both

ADITI  
डिप्टी कलेक्टर  
बेतूल

प्राधिकृत अधिकारी, ADITI YADAV, DY. COLLECTOR म. प्र.

नोट

1. इस पास का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मान्य होगा /प्रिंट आउट रखना अनिवार्य नहीं है।
2. इस ई पास में दर्शाये गए फोटो परिचय पत्र की प्रति साथ में रखना अनिवार्य होगा।
3. यह ई पास अहस्तांतरणीय है।
4. पास पर दिये गये क्यू आर कोड (QR Code) की सहायता से ई पास के वैधता की जाँच की जा सकती है। इस हेतु म. प्र. शासन के मोबाइल ऐप "एमपी मोबाइल" का प्रयोग किया जा सकता है।
5. ई साइन की स्थिति में पदमुद्रा आवश्यक नहीं है।
6. पास धारक को कोविड-19 से बचाव के लिए भारत शासन और/अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. पास धारक को अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच कर स्थानीय प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा।
8. ई पास धारक को यात्रा प्रारंभ जिले से गंतव्य जिले के बीच आने वाले अन्य जिलों से गुजरने हेतु पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।
9. अन्य राज्य में यात्रा हेतु ई पास धारक को यह सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के पूर्व गंतव्य राज्य एवं जिले से अपनी यात्रा की स्वीकृति प्राप्त कर लें। असुविधा की स्थिति में म. प्र. शासन उत्तरदायी नहीं होगा।
10. ई पास के धारक एवं सहयात्रियों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन का आवश्यक रूप से पालन करना होगा

